(५२

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / 14408 / 1574 **दिनांक:–** 16/04/14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

नगर विकास एवं आवास विभाग 28 APR 2014 बिहार सरकार, पटना

Sec-7 06.05.14

महाशय,

नगर पंचायत, जोगबनी के वर्ष 2011–12 से 2012–13 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 266 / 13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

2924(S) 6/5/14

भवदीय,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

9/5/14

नगर पंचायत, जोगबनी
निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–266/13–14
(अवधि– 2011–12 से 2012–13 तक)

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, जोगबनी, अररिया के वितीय वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक के लेखाओं की नमूना जॉच प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा शाखा, सामाजिक प्रक्षेत्र– I, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 03.06.2013 से 08.06.2013 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क्रम सं0	मुख्य पार्षद का नाम	अवधि
1	श्रीमति तरन्नुम नाज	01.04.11 से 31.03.13

क्रम सं0	कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
1.	श्री शिवशंकर प्रसाद सिंह	01.04.11 से 31.03.13

3. अंकेक्षण परिसीमा

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत एवं नमूना जॉच किए गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–1 पर तथा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों एवं बहियों की सूची परिशिष्ट–2 पर दी गयी है।

4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं के निस्तारण हेतु अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के लंबित कंडिकाओं का विवरण निम्नलिखित है–

क्र0 सं	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0	अंकेक्षण वर्ष	लंबित कंडिकाओं की सं0
1.	303/78–79	1976–77 एवं 77–79	05
2.	504/80–81	79–80	03
3.	379/81–82	81–82	04
4.	86/85–86	81–82 से 83–84	12
5.	32/89–90	84–85 से 85–86	09
6.	58/90–91	86–87 से 89–90	09
7.	97/91–92	90–91	05
8.	107/94–95	91–92 से 93–94	27
9.	–	94–95 से 06–07 का दर्ज नहीं0	–
10.	59/12–13	2007–08 से 2010–11	33
			कुल–106

लंबित कंडिकाओं के अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक जॉच हेतु अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

5. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

बिहार नगरपालिका नियमावली–1928 के नियम 20, 30 एवं 66 तथा बिहार नगरपालिका लेखा (रिकवरी ऑफ टैक्सेज) नियमावली के नियम 30, 37 एवं 39 में पदाधिकारियों द्वारा आंतरिक जॉच के ऐसे उपबंध किये गये हैं जिससे नगर पंचायत के लेखा संधारण एवं समन्वय पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सकता है।

अभिलेखों के जॉचोपरांत यह पाया गया कि नगर पंचायत पदाधिकारियों द्वारा उक्त जॉच प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण अनेक त्रुटियॉ दृष्टिगोचर हुई। इन त्रुटियों के विवेचना संबंधित कंडिकाओं में की गयी है। यदि जॉच प्रक्रिया का पालन निश्चित अंतराल पर किया जाता तो प्रतिवेदन में वर्णित अनियमितताओं तथा त्रुटियों (जो उजागर नहीं हो सकी) को टाला जा सकता था।

6. लेखापरीक्षा का महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

क्रम सं0	विवरण	राशि
1	कंडिका सं–12(1)गृहकर,जलकर,शौचकर,एवं शिक्षाकर एवं स्वास्थय उपकर के रूप में बकाया राशि	रू–3494669
2	कंडिका सं–13(1) सैरात की राशि कम जमा	रू–69000
3	कंडिका सं–13(2)स्टाम्प शुल्क की कटौती नहीं	रू–99270
4	कंडिका सं–16(1)कम जमा/नहीं जमा	रू–311195
5	कंडिका सं–17(1) बिजली विपत्र का	रू–4.79
6	कंडिका सं–17(2)पानी टंकी का क्रय में अनियमितता	रू–137208
7	कंडिका सं–17(5) सी0एफ0एल0 स्टीट लाईट	रू–374000
8	कंडिका सं–18 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के –कार्यान्वयन में अनियमितता	रू1200000

7. सामान्य रोकडबही का अधिदृश्य

नगर पंचायत, जोगबनी द्वारा संधारित रोकड बही के अनुसार वर्ष 2011–12 से 2012–13 में नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी–

	2011–12	2012–13
प्रा0शेष	21884078.22	17481369.22
वर्ष के दौरान प्राप्ति	8109211.00	29413412.00
कुल प्राप्ति	29993289.22	46894781.22
वर्ष के दौरान व्यय	12511920.00	11894903.00
अंतशेष	17481369.22	34999878.22

नगर पंचायत जोगबनी द्वारा संधारित बैंक पासबुक का 31–03–13 को अंतशेष निम्नानुसार था–

1यूको बैंक खाता सं–5064	रू0–1067078.00
2यूको बैंक खाता सं–7584	रू0–534025.40
3सी0बी0 आई0 खाता सं–7104	रू0–3465371.00
4 सी0बी0 आई0 खाता सं–9004	रू0–3400826.00
5एस0बी0 आई0 खाता सं–11458532013	रू0–835305.81
6 कोषागार	रू0–25930670.00
	कुल–35233276.22

बैंक में अप्रस्तुत चेकों का विवरण–

1. 337907 / 16.02.10 –रू0–7500.00
2. 684201 / 21.04.11 –रू0–7405.00
3. 684214 / 11.08.11 –रू0–6889.00
4. 684221 / 22.10.11 –रू0–8316.00
5. 018651 / 25.03.13 –रू0–150284.00
6. 018652 / 25.03.13 –रू0–4000.00
7. 721086 / 25.03.13 –रू0–49250.00

कुल–233644.00

अप्रस्तुत चेकों की कुल राशि–233644.00
रोकड बही अंतशेष–34999878.22
कुल बैंक अंतशेष–35233276.22
इस प्रकार रोकडबही तथा बैंक पासबुक में 246.00 का अंतर था।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. रू0–246.00 का बैंक समाधान विवरणी बनाकर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. वेतन से संबंधित संव्यवहार के लिए अलग से वेतन सहायक रोकड बही में होने वाले संव्यवहार की प्रविष्टि लेखापाल रोकडबही में किया जा रहा था जो अनियमित था।
3. कई स्थानों पर व्यय तथा जमा पक्ष में ऐसी प्रविष्टियाँ पायी गयी जिन्हें कुल योग में नहीं जोडा गया था साथ ही कुल योग में नहीं जुडने वाले राशियों का आपसी व्यय पक्ष तथा जमा पक्ष में कोई संबंध नहीं था।

उपरोक्त आपतियों के जबाव में कहा गया कि भविष्य में आपतियों का ध्यान रखा जाएगा।

8. बी0आ0जी0एफ0 योजना का अधिदृश्य

नगर पंचायत, जोगबनी में वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में बी0आ0जी0एफ0 योजना के आय–व्यय की स्थिति निम्न थी–

	2011–12	**2012–13**
1.प्रा0शेष–	3366214.00	4686422.00
2.प्राप्ति–अनुदान–	2644064.00	954060.00
ब्याज–	120493.00	160892.00
अन्य–	–	–
वर्ष के दौरान प्राप्ति–	2764557.00	1114952.00
3.कुल प्राप्ति–	6130771.00	5801374.00
4.व्यय–योजना–	1444349.00	2486253.00
अन्य–	–	4034.00
कुल व्यय–	1444349.00	2490287.00
5.अंतशेष–	4686422.00	3311087.00

बैंक पासबुक सेंटल बैंक ऑफ इण्डिया, खाता सं0–7104 का दिनांक 31–03–13 को अंतशेष–रू0–3465371.00

अंकेक्षण टिप्पणी

1. रोकडबही एवं बैंक पासबुक के अंतशेष में रू0–154284.00 के अंतर का बैंक समाधान विवरणी बनाकर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

   अतः रू0– 154284.00 का बैंक समाधान विवरणी अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

9. कबीर अंत्येष्टि योजना का अधिदृश्य

	2011—12	2012—13
1.प्रा0शेष—	264500.00	309500.00
प्राप्ति—अनुदान—	172500.00	712500.00
ब्याज—	—	19500.00
अन्य—	—	—
वर्ष के दौरान प्राप्ति—	172500.00	732000.00
3.कुल प्राप्ति—	437000.00	1041500.00
4.व्यय—योजना—	127500.00	377000.00
अन्य—	—	—
कुल व्यय—	127500.00	377000.00
5.अंतशेष—	309500.00	664500.00

कबीर अंत्येष्टि योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों के किसी सदस्य के मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रित को दाह संस्कार कार्य करने हेतु 1500/— नकद दिया जाता है तथा बाद में आवेदन पत्र लेकर वार्ड कमिश्नर कर्मचारी द्वारा राशि का समायोजन कर दिया जाता है। नगर पंचायत जोगबनी द्वारा संचालित कबीर अन्त्येष्टि योजना में अनेक प्रकार की विसंगतियाँ पायी गयी।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. आवेदन के साथ मृतक का मत्यु प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया।
2. आवेदन के साथ आवेदक के बी0पी0एल0 में शामिल होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया।
3. सम्बन्धित वार्ड कमिश्नर/कर्मचारी का संयुक्त खाता नहीं खुलवाया गया था।

उपरोक्त आपतियों के जबाब में कहा गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा तथा खाता खुलवाने की कार्रवाई की जा रही है।

10. बजट प्राक्कलन

नगर पंचायत, जोगबनी के वर्ष 2011—12 से 2012—13 तक का तैयार किया गया बजट प्राक्कलन निम्न प्रकार था।

आय–प्रावधान

क0 सं0 विवरण	बजट प्रावधान 11–12	बजट प्रावधान 12–13	वास्तविक आय 11–12	वास्तविक आय 12–13	अन्तर 11–12	अन्तर 12–13
1. सभी मदों से आय	14704015	68655301	8702250	29593898	6001765	39061403
2.प्रा0 शेष	20154531	17481369	22477540	17481369	2323009	–
3.योग	34858546	86136670	31179790	47075267	3678756	39061403

व्यय–प्रावधान

क0 सं0 विवरण	बजट प्रावधान 11–12	बजट प्रावधान 12–13	वास्तविक व्यय 11–12	वास्तविक व्यय 12–13	अन्तर 11–12	अन्तर 12–13
1.सभी मदों से आय	1293700	83645532	13698420	11899997	724720	71745535
2.प्रा0 शेष	21884846	2491138	17481370	35175270	4403476	32684132
3. योग	34858546	86136670	31179790	47075267	3678756	39061403

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि बजट प्रावधान के अनुसार वास्तविक आय एवं वास्तविक व्यय में भारी राशि का अन्तर के बजट तैयार किया गया था। जिससे ज्ञात होता है कि बजट प्राक्कलन का तैयार किया जाना महज खानापूर्ति है।

साथ ही बजट प्राक्कलन सरकार से अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया था।

11(i) अनुदान

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था जबकि बिहार नगर–पालिका लेखा नियमावली 1928 के नियम–14 © के अनुसार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों का व्यय, प्राप्ति वर्ष से तीन वर्ष के अन्दर कर लिया जाना चाहिए अथवा सरकार से पूर्वानुमति लेकर किसी अन्य मद में व्यय किया जाना चाहिए। रोकडबही के अनुसार नगर पंचायत को वर्ष 2011–12 से 2012–13 तक में कुल राशि रू0–30606627.00 का अनुदान प्राप्त हुआ था।

(विस्तत विवरण परिशिष्ट–iii पर संलग्न)

अतः नगर पंचायत प्रशासन को सलाह दिया जाता है कि प्राप्त अनुदान को विहित अनुदान पंजी में वर्ष के प्रारंभ में शीर्षवार, अनुपयुक्त अनुदान, वर्ष में प्राप्त अनुदान, व्यय की गयी राशि एवं वर्ष के अन्त में शीर्षवार अनुपयुक्त अनुदान की स्थिति हेतु अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

11(ii) पूँजी का अवरोधन

रोकड बही एवं कोषागार transit register के मिलान करने के कम में पाया गया कि एक से दो वर्षों से अधिक समय से विभिंन्न मदों में प्राप्त सरकारी अनुदान की कुल राशि रू–27033738.00 यथास्थिति नगर पंचायत कोष में रखा हुआ था।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– iv पर संलग्न)

अतः नगर पंचायत को सलाह दिया जाता है कि विभिन्न मदों में अवशेष राशि को उपयोग/व्यय नहीं किये जाने की स्थिति में सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कराया जाय।

12(i) गृहकर, जलकर, शौचकर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के बकाया के रूप में कुल राशि रू0–3494669.00

नगर पंचायत, जोगबनी द्वारा उपलब्ध विवरणी के अनुसार गृहकर, जलकर, शौचकर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के बकाया के रूप में कुल रू0 की राशि बकाया थी।

(विस्तत विवरण परिशिष्ट– v पर संलग्न)

बकाया राशि 3494669 के वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए।

12(ii) शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं

नगर पंचायत, जोगबनी द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर के रूप में कुल रू0–241900.00 की वसूली की गयी। वसूल की गयी राशि में से 10 प्रतिशत वसूली चार्ज (24190.00) घटाकर शेष 217710.00 की राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करना था।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. रू0–217710.00 की राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं की गयी।

34

उपरोक्त आपति के जबाब में कहा गया कि भविष्य में अनुपालन किया जाएगा। जबाब संताषजनक नहीं है। अतः 217710.00 की राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

13(i) सैरात की राशि कम जमा

सैरातों की बन्दोबस्ती पंजी/संचिका के अवलोकन में पाया गया की सैरातों की बन्दोबस्ती की राशि बन्दोबस्तधारी द्वारा कम जमा किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	बंदोबस्ती का नाम	बन्दोबस्तधारी का नाम	डाक की राशि	जमा की गयी राशि	कम जमा की राशि
1	जोगबनी हाट 11–12	जयप्रकाश यादव	203000	175600	27400
2	गुदरी 11–12	अजय कु0 दुबे	158000	136400	21600
3	वाहन पार्किंग 12–13	आदित्य कु0 श्रीवास्तव	33500	13500	20000

कुल–69000.00

कुल रू0–69000.00 संबंधित डाकधारी से वसूली कर नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाय, तथा अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय ।

13(ii) स्टाम्प शुल्क की वसूली नहीं

बिहार सरकार के पत्रांक 549/दिनांक 15.03.2005 के निर्देशानुसार डाक की राशि के 3 प्रतिशत स्टाम्प पर बंदोबस्तीधारी से एकरारनामा करना था, किन्तु उक्त दिशानिर्देशों का नगर पंचायत, जोगबनी द्वारा पालन नहीं किया गया था। जिसके कारण सरकार को कुल रू0–99270.00 का राजस्व क्षति हुआ। राजस्व क्षति का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	वर्ष	सैरात का नाम	डाकधारी	बंदोबस्ती की राशि	3 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क
1	11–12	बस पडाव	सर्वश्री निगमकांत झा	1103000	33090
2.	12–13	बस पडाव		1274000	38220
3.	11–12	निबंधन शुल्क	मो0 ईशहाक	15500	465
4.	12–13	निबंधन शुल्क	मो0 ईशहाक	17000	510
5.	11–12	शौचालय	योगेन्द्र राउत	15500	465
6.	12–13	शौचालय	योगेन्द्र मल्लिक	16500	495
7.	11–12	मवेशी अडगरहा	मो 0 याकुब	49000	1470

8.	12–13	मवेशी अडगरहा	आदित्य कु0 श्रीवास्तव	55000	1650
9.	11–12	जोगबनी हाट	जय प्रकाश यादव	203000	6090
10.	12–13	जोगबनी हाट	अजय कु0 दुबे	207000	6210
11.	11–12	गुदरी बाजार	अजय कु0 दुबे	158000	4740
12.	12–13	गुदरी बाजार	अनिल कु0 यादव	162000	4860
13.	12–13	वाहन पार्किंग	आदित्य कु0 श्रीवास्तव	33500	1005
			कुल–	3309000	99270

अत कुल राशि रू0–99270.00 संबंधित डाकधारी से वसूलकर संबंधित शीर्ष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

14. विलोपित

15. विज्ञापन पर व्यय रू0–65759.00

नगर पंचायत, जोगबनी के रोकडबही के नमूना जॉच में पाया गया कि निम्न राशि विज्ञापन पर व्यय किया गया था।

क्र0सं0	चेक नं0 /दिनांक	राशि	समाचार पत्र का नाम
1.	684203/26.04.11	1477	दैनिक जागरण
2.	550035/02.07.11	960	दैनिक हिन्दुस्तान
3.	684221/22.10.11	8316	हिन्दुस्तान मीडिया
4.	684222/22.10.11	5936	दैनिक जागरण
5.	544364/22.11.11	596	दैनिक जागरण
6.	543111/17.03.12	682	दैनिक जागरण
7.	543111/17.03.12	1080	दैनिक हिन्दुस्तान
	वर्ष 2012–13		
8.	545925/13.04.12	19201	हिन्दुस्तान मीडिया
9.	891703/29.08.12	26299	हिन्दुस्तान मीडिया
10.	891741/14.01.13	1212	हिन्दुस्तान मीडिया
	कुल–	65759	

मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 656 दिनांक 08.03.08 के अनुसार विज्ञापन नीति 2008 के तहत 01.04.2008 से कोई भी विज्ञापन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से किया जाना है।

विज्ञापन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से नहीं कराया गया था। अंकेक्षण टिप्पणी के जबाव में कहा गया कि विज्ञापन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से किया जाता है परन्तु इसका साक्ष्य अंकेक्षण में

132

प्रस्तुत नहीं किया गया था, अतः साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने तक रू0–65759.00 की राशि अंकेक्षण आपति के अधीन रखी जाती है।

16 (i) कम जमा/नहीं जमा

नगर पंचायत, जोगबनी का वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के अंकेक्षण के दौराण विविध रसीद एवं गह कर से संबंधित राशि विभिन्न संग्राहकों द्वारा संग्रह किया गया, परन्तु पूरी राशि नगर पंचायत कोष में जमा नहीं किया गया जिसे अंकेक्षण के दौरान कुल 125489.00 राशि जमा कराया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्न है–

क0 सं0	रसीद का प्रकार/संग्राहक का नाम	रसीद सं/दिनांक	वसूली गयी राशि	जमा की गयी राशि	कम जमा/नहीं जमा	अंकेक्षण के दौरान जमा
1.	एच0 रसीद/सज्जन रजक	7201 से 7300/3.9.11 से23.2.12	213280	192680	20600	–
2.	एच0 रसीद/सज्जन रजक	8601–8619/13.03.13 से 30.03.13	26948	5090/13.03.13 5192/22.04.13	16666	–
3.	एच0 रसीद/परवेज आलम	7101–7200/23.03.11 से 28.05.12	248036.60	–	248036.60	30000/एम0 आर0–1368/7.6.13
4.	एच0 रसीद 7401–7500/परवेज आलम	7401 से 7500 2.04.12–19.04.12	122737.95	17061/27.04.12	105676.95	50000/एम0 आर0–1371/7.6.13
5.	एच0 रसीद/मो0 नसीरूदीन	8277/12.12.12	1296	1080	216	–
6.	विविध रसीद/मेघराज यादव	687–700/15.04.11–23.05.11	23736	–	23736	23736/एम0 आर0–1372/7.6.13
7.	एच रिसीद/मेघराज यादव	6411 से 6420	21752.29	–	21752.29	21753/एम0 आर0–1369/7.6.13
						125489.00
		कुल	656706.84	220023	436683.84	125489

अंकेक्षण के दौरान कुल 125489.00 रू0 जमा करवाया गया परन्तु बैंक/ट्रेजरी में जमा की जॉच नहीं की जा सकी अतः जॉच किए जाने तक 436683.84 संबंधित संग्राहकों से वसूलनीय है–

1. सज्जन कुमार–37266
2. परवेज आलम–273713
3. मो0 नसीरूदीन–216

उपरोक्त राशि संबंधित संग्राहकों से वसूल कर पंचायत कोष में जमा कराया जाय तथा अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

17 (i) बिजली विपत्र का भुगतान (4.79 लाख)

सरकारी पत्रांक–22 एवं 36 न0वि0 एवं आ0वि0 दिनांक–31.08.12 द्वारा आबंटन की राशि रू–479000.00 बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वार्ड को पथ प्रकाश व्यय हेतु भुगतान करने का आबंटन प्राप्त हुआ था। विद्युत विभाग के द्वारा माह फरवरी–13 तक का कुल राशि रू 6361298.00 (सभी चार्ज सहित) प्राप्त हुआ था। तथा जिसके आधार पर प्राप्त आवंटन की राशि रू0 479000.00 चेक सं0 703394/21.03.13 को भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. बिजली बिल भुगतान किये जाने से पूर्व नगर पंचायत कार्यालय के अधीन कितने मीटर संधारित हो रहा था जिसकी सूचना/सूची अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

अतः नगर पंचायत पदाधिकारी को सलाह दिया जाता है कि नगर पंचायत क्षेत्राधीन संचालित मीटरों को नये सिरे से स्थापित कर एवं दिये गये विपत्रों को अच्छी तरह से जॉचोपरान्त ही बिजली बिल का भुगतान किया जाय। तबतक व्यय की गयी राशि 479000 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

17 (ii) पानी टैंकर कय में अनियमितता

सरकारी पत्रांक –4713/न0वि0आ0वि0, बिहार, पटना के दिनांक –17.08.10 के निहित निर्देशानुसार 13वें वित आयोग मद में प्राप्त राशि निम्नांकित कार्यो में व्यय किया जाना है।

1. कम से कम 50 प्रतिशत राशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
2. पाइप जलापूर्ति व्यवस्था, रखरखाव सहित
3. सडकों में प्रकाश की व्यवस्था तथा पेयजल पर उपयोग किए बिजली के बिल भुगतान
4. रैन बसेरा/ओल्ड ऐज होम का निर्माण एवं रख–रखाव आदि

नगर पंचायत, जोगबनी की आम बैठक दिनांक 26.06.11 के प्रस्ताव सं0–04 द्वारा (i) हाईमास्ट स्थानान्तरण पर एवं खराब सामग्री की आपूर्ति (ii) पानी टंकी का कय (iii) जेनरेटर सेट का कय एवं स्ट्रीट लाईट सामग्री पर व्यय करने हेतु निर्णय लिया गया था। जिसके अनुसार दिनांक 14.12.11 को निविदा प्रकाशित किया गया था, ज्ञापांक –557 दिनांक 5.12.11 द्वारा आमंत्रित निविदाएँ दिनांक–26.12.11 को खोली गयी थी, जिसमें कुल 03 प्राप्त निविदाओं के द्वारा निम्नांकित दर प्राप्त हुआ था।

1.मेसर्स फ्रेन्डर्स डी0 डी0 रोड, फारबिसगंज	205000.00	वैट 5 प्रतिशत अतिरिक्त
2.कोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स एक्जिबीशन रोड, पटना	235000.00	वैट 13.125 प्रतिशत अतिरिक्त
3.बी0बी0एस0 इन्टरप्राइजेज रानीगंज रोड, फारबिसगंज	245000.00	वैट 13.125 प्रतिशत अतिरिक्त

उक्त तीनों निविदाओं के तुलनात्मक विवरणी के अनुसार मेसर्स फ्रेन्डर्स ट्रेडर्स का चयन कर कार्यालय आदेश –45 दिनांक 20.01.12 को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया था तथा दिनांक 20.01.12 को आपूर्ति करते हुए भुगतान विपत्र रू0–215250.00 प्रस्तुत किया गया था तथा कुल राशि रू0–215250.00(205000+10250 वैट) चेक सं0–703369/4.08.12 के द्वारा भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) पानी टंकी आपूर्ति कि तिथि 20.01.12 से मई 13 तक में कोई कार्य नहीं लिया गया था। इससे स्पष्ट है कि पानी टंकी बिना आवश्यकता के क्रय कर राशि 215250.00 का दुरूपयोग किया गया था।

(ii) आपूतिकर्ता को भुगतान की गयी वैट की राशि रू–10250.00 संबंधित शीर्ष में जमा कराया जाय।

उक्त टिप्पणी के जबाव में कहा गया कि आपतियों पर भविष्य में ध्यान रखा जायेगा। अतः उपर्युक्त टिप्पणी का स्पष्ट जबाव अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय तब तक व्यय की गयी राशि रू–205000.00 अंकेक्षण आपति के अधीन रखा जाता है। पानी टैंकर की उपयोग को बढावा दिये जाने हेतु प्रयास किया जाय।

17 (iii) 250 वाट, सोडियम वैपर लैम्प का क्रय (35 पीस)

निविदा के अनुसार वैपर लैम्प का क्रय हेतु 03 निविदाएँ निम्नलिखित सामग्रियों के क्रय हेतु निविदा डाला था।

1.	भेपर बल्ब–250 वाट	35 पीस	419.00 प्रति अदद
2.	चौक–250 वाट	35 पीस	1915.00 प्रति अदद
3.	कंडेसर	35 पीस	625.00 प्रति अदद
4.	इगनेटर	35 पीस	275.00 प्रति अदद
5.	तार मल्टी स्टेज	02 क्वाइल	1300.00 प्रति अदद
6.	भेपर ढक्कन	15 पीस	550.00 प्रति अदद

तुलनात्मक विवरणी के अनुसार मेसर्स फ्रेन्डस ट्रेडिंग डी0डी0 रोड, फारबिसगंज को कार्यालय आदेश सं0–44 दिनांक 20.01.12 को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया था जिसके आधार पर आपूर्ति कर्ता द्वारा दिनांक 20.01.12 को आपूर्ति करते हुए कुल राशि रू0–137209.00 कर सहित (13.125 प्रतिशत) का भुगतान विपत्र प्रस्तुत नहीं) कुल राशि रू0–121290.00 आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति किये गये सामग्रियों को भण्डार पंजी में दर्ज एवं वितरण के जॉच हेतु भण्डार पंजी दिखाया नहीं गया था जिससे स्पष्ट नहीं हो सका कि आपूर्तिकर्ता वास्तविकता में सामग्रियों की आपूर्ति किया था अथवा नहीं।

(ii) कुल राशि रू0–15919.00 वैट की कटौती की गयी राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं दिखाया गया था।

(iii) आपूर्तिकर्ता के साथ सामग्रियों का आपूर्ति एवं गुणवता एवं गारंटी तथा रख–रखाव हेतु स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं किया गया था।

(iv) आपूर्त्ति किये गये सामग्रियों को विद्युत विभाग के तकनीकी पदाधिकारी से गुणवता की जॉच नहीं कराया गया था।

(v)आपूर्त्ति किये गये सामग्रियों को किन–किन स्थानों पर अधिष्ठापित किया गया था की सूची एवं लाभार्थियों का प्रतिवेदन संचिका में संलग्न नहीं था।

उक्त अंकेक्षण टिप्पणियों के जबाब में कहा गया कि आपतियों पर भविष्य मे ध्यान रखा जायेगा।

अतः उपर्युक्त टिप्पणियों का स्पष्ट जबाव एवं पंजी इत्यादि अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय तब तक भुगतान की गयी राशि रू0–121290.00 आपति के अधीन रखा जाता है। साथ ही कटौती की गई राशि रू0–15919.00 संबंधित शीर्ष मे जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

17(iv) जेनरेटर का कय

निविदा के अनुसार जेनरेटर कय/आपूर्ति करने हेतु 03 कम्पनियों के द्वारा निविदा डाला गया था

1. मेसर्स आकाश विनटेक प्रा0लि0,आर0एन0साव चौक पूर्णिया	दर 395502.00(सभी कर सहित)
2.मेसर्स डी0 स्वपलिन कम्पनी आर0 एन0 साव चौक पूर्णिया	401300.00(सभीकर सहित)
3.मेसर्स डी0 स्वपलिन कम्पनी आर0 एन0 साव चौक पूर्णिया	408300.00(सभीकर सहित)

तुलनात्मक विवरणी के अनुसार मेसर्स आकाश विनटेक पूर्णियॉ को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया था तथा आपूर्ति किये जाने के बाद कुल राशि रू0–395502.00 का भुगतान विपत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद कुल राशि रू0–340655.00 भुगतान किया गया था।

२१

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) आपूतिकर्ता के साथ स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं कराया गया था। जबाव में कहा गया कि अंकेक्षण में उठायी गयी आपत्तियों पर भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

17(v) सी0एफ0एल0 स्ट्रीट लाईट का कय (13वें वित)

सी0एफ0एल0 स्ट्रीट लाईट के कय हेतु प्रस्ताव पारित होने के बाद स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित किया गया था जिसके आधार पर 03 कम्पनियों ने निविदा में भाग लिया था तथा तुलनात्मक विवरणी के अनुसार 45 वाट सी0एफ0एल0 फिटिंग्स रू.1375 (vat-13.5%) कम से कम दर मेसर्स फ्रेण्डस ट्रेडर्स, फारबिसगंज को स्वीकृत करते हुए आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया था आपूर्ति आदेश के आलोक में 45 वाट के 200 अदद सी0एफ0एल0 बल्ब एवं फिटिंग सामानों सहित कुल रू0–374000.00(275000+90000)चेक सं0–703379/13.10.12 एवं 540722/19.10.12 से मेसर्स फ्रेण्डर्स ट्रेडर्स को भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) भंडार पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(ii) अधिष्ठापित किये गये बल्बों की सूची एवं स्थानीय लाभार्थियों का प्रतिवेदन संचिका में संलग्न नहीं किया गया था।

(iii) आपूर्तिकर्ता के साथ स्टाम्प पेपर पर शर्तों के साथ एकरारनामा नहीं कराया गया था।

(iv) आपूर्तिकर्ता को बिना वैट एवं आय कर के कटौती किये ही भुगतान किया गया था।

(v) आपूर्तिकर्ता के द्वारा मात्र रू0–85290.00 का ही सामानों की आपूतिकर्ता विपत्र प्रस्तुत किया था लेकिन आपूतिकर्ता को कुल राशि रू0–275000.00 भुगतान किया गया था यानी कुल राशि रू0–189710.00(275000–85290) अधिक भुगतान किया गया था।

अतः अधिक भुगतान की राशि 189710/– संबंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है एवं 85290/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

17(vi) जे0सी0बी0 मशीन का कय (12वें वित)

सरकारी पत्रांक –118/न0वि0 एवं आ0 वि0 दिनांक –10.09.09 द्वारा 12वें वित आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशि से ठोस अपशिष्ट मद में नगर पंचायत, जोगबनी की आम बैठक के प्रस्ताव सं0–05 दिनांक 03.12.09 द्वारा जे0सी0बी0 मशीन का कय कर नालियों की सफाई किया जाय जिसके आधार पर ज्ञापांक सं0–81 दिनांक 16.03.10 के दैनिक समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित किया गया था तथा जिसमें तीन कम्पनियों ने भाग लिया था जिसके तुलनात्मक विवरणी के अनुसार पाटलिपुत्रा इक्यूपमेंट प्रा0लि0 की बोली अन्य दो से कम था जिसके आधार पर स्थाई समिति की बैठक से

अनुमोदन कराते हुए मुख्य पार्षद से अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया गया था लेकिन तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित करने हेतु आदेश निर्गत किया गया था।

कार्यालय ज्ञापांक सं0–390 / 03.08.10 के द्वारा निविदा आमंत्रित में मात्र 02 निविदाएँ प्राप्त हुआ था जिसके तुलनात्मक विवरणी के अनुसार मेसर्स शंकर इकयूपमेंट, पटना को चयन कर आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया था तथा आपूर्ति के बाद विभिन्न चेकों के माध्यम से कुल राशि रू0–1913462.00 आपूर्तिकर्ता को वैट की राशि रू0–76538.00 कटौती कर भुगतान किया गया था ।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) जे0सी0बी0 मशीन का कार्यालय कार्य के बाद शहर में किराये के लिए उपयोग से संबंधित संचिका आवश्यक जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं कराया गया था।

(ii) आपूतिकर्ता को भुगतान किये गये राशि से आय कर की कटौती नहीं किये जाने के कारण रू0–38270.00 (1913462 का 2 प्रतिशत) अधिक भुगतान किया गया था। उपयुर्क्त टिप्पणियों का स्पष्ट जबाव एवं साक्ष्य अगले अंकेक्षण में दिया जाय अतः आय कर की राशि रू0–38270.00 वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय तबतक व्यय कि गयी राशि रू0–1875192.00 आपति के अधीन रखा जाता है।

17(vii) हाथ कूड़ागाड़ी का कय (12वें वित्त आयोग)

नगर पंचायत, जोगबनी की आम बैठक दिनांक 03.12.09 के प्रस्ताव सं0–05 द्वारा नाला / सडक सफाई हेतु हाथ कूड़ागाड़ी का क्रय हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके आधार पर निविदा प्रकाशित होने के बाद कुल–06 निविदाएँ प्राप्त हुआ था तथा तुलनात्मक विवरणी के अनुसार मेसर्स फ्रेन्डस, फारबिसगंज को 12 अदद, 140 ली0 के हाथ गाडी आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत किया गया था आपूर्ति आदेश के आलोक में दिनांक–30.11.10 को आपूर्ति कर्ता के द्वारा आपूर्ति करने के बाद कुल राशि रू0–89856.00 का भुगतान विपत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर कुल राशि रू0–86400.00(12 अददX7200 प्रति अदद) चेक सं0–703333 / 18.08.11 को भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) भण्डार पंजी में दर्ज कर वितरण इत्यादि हेतु भण्डार पंजी नहीं दिखाया गया था, जिससे स्पष्ट नहीं किया जा सका कि वास्तव में सामानों की आपूर्ति किया गया या नहीं।

(ii) गुणवता की जॉच नहीं कराया गया था।

(iii) स्टाम्प पेपर पर आपूतिकर्ता के साथ शर्तो सहित एकरारनामा नहीं कराया गया था।

उपयुर्क्त टिप्पणी के संबंध में स्पष्ट जबाव एवं साक्ष्य अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय तबतक व्यय की गयी राशि रू0– 86400.00 आपति के अधीन रखा जाता है साथ ही वैट की राशि रू0–3456.00 वसूलकर संबंधित शीर्ष में जमाकर दिखाया जाय।

17(viii) फॉगिग मशीन का कय (12वें वित)

सरकारी पत्रांक –118/न0वि0 एवं आ0वि0 दिनांक –10.07.09 द्वारा 12वें वित आयोग मद में प्राप्त आवंटन फॉगिंग मशीन के कय हेतु बोर्ड की बैठक से पारित होने की प्रत्याशा में निविदा करने की स्वीकृति के बाद निविदा आमंत्रित किया गया था जिसमें 03 कम्पनियों से निविदाएँ प्राप्त हुआ था, तथा तुलनात्मक विवरणी के अनुसार मेसर्स जी इंजीनयरिंग, रामकृष्ण मिशन रोड भट्टा बाजार, पूर्णिया को प्रति अदद रू0–99900+4 प्रतिशत वैट सहित कुल राशि रू0–103896.00 का था मेसर्स जीत इंजिनियरिंग, पूर्णियां को फॉगिंग मशीन की आपूर्त्ति हेतु आदेश सं0–478 दिनांक 30.11.10 द्वारा आदेश निर्गत किया गया था जिसके आलोक में आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा दिनांक 19.08.11 को आपूर्ति किये जाने के बाद कुल राशि रू0–103896.00 का भुगतान विपत्र प्राप्त हुआ था तथा चेक सं0–703350/19.01.12 को कुल राशि रू0–99900.00 भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) भंडार पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) स्टाम्प पेपर पर शर्तों के साथ एकरारनामा नहीं किया गया था।

उपर्युक्त टिप्पणियों के जबाव में कहा गया कि भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

अतः उक्त सभी टिप्पणियों से संबंधित जबाव एवं साक्ष्य अगले अकेक्षण में दिखाया जाय तब तक व्यय की गयी राशि रू–103896.00 आपति के अधीन रखा जाता है।

18 विलोपित

19(i) योजनाओं कि भौतिक स्थिति

नगर पंचायत, जोगबनी द्वारा वर्ष 2011–12 एवं2012–13 में चयनित एवं कार्यन्वित योजनाओं कि स्थिति निम्न थी–

क0सं0	अनुदान मद	योजना का वर्ष	कुल कार्यान्वित यो0	पूर्ण योजनाओं की सं0	अपूर्ण योजनाओं की सं0	अपूर्ण योजनाओं की प्रा0 राशि	अपूर्ण योजनाओं में अग्रिम
1.	मैचिंग	2011–12	6	5	1	255900.00	–
2.	बी0आर0जी0एफ0	2011–12	10	8	02	364300.00	–
3.	आंतरिक संसाधन	2011–12	2	1	1	218200.00	–
4.	13वॉ वित	2012–13	1	0	1	500000.00	–
5.	आंतरिक संसाधन	2012–13	2	1	1	72400.00	–
6.	बी0आर0जी0एफ0	2012–13	1	0	1	499200.00	–
7.	चतुर्थ राज वित	2012–13	9	0	9	3018900.00	513169.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट– vi पर संलग्न)

अंकेक्षण टिप्पणी

1. नगर पंचायत द्वारा चयनित 31 योजनाओं में आधे से भी अधिक कुल 16 योजनाएँ अपूर्ण थी। अपूर्ण योजनाओं में कुल रू0–513169.00 अग्रिम भी दिया गया था।

   उपरोक्त आपति के जबाव में कहा गया कि योजनाएँ पूर्ण करने की कार्रवाई की जा रही है। अतः सलाह दिया जाता है कि अपूर्ण योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा किया जाय।

<u>19(2) योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता</u>

यो0सं0 / वर्ष–17 / 2011–12(बी0आर0जी0एफ0)

योजना का नाम– वार्ड न0–10 में गोपाल दास के घर से गुजाय दास के घर तक पी0सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।

प्रा0 राशि–300000.00

मापी की राशि–296053.00

संवेदक का नाम– मो0 मुर्शरफ हयात

अभिकर्ता को भुगतान–	272040
खनन कर–	3087
वैट–	11842
आयकर–	6759
सेवा चार्ज–	2325
	296053.00

अंकेक्षण टिप्पणी

(1)बी0ओ0क्यू0के अनुसार कार्य करने में कुल 15.57 एम क्यू मिट्टी प्रति 100 फीट का उपयोग होता है जिसके अनुसार 340 फीट में कुल 52.94 एम क्यू (15.57एम क्यू गुणा 3.4) मिट्टी का कार्य किया जाना चाहिए था। लेकिन मापी पुस्तिका के अनुसार कुल 84.74 एम क्यू कार्य दर्ज किया गया था।
कुल राशि रू0–6642(31.8 एम क्यू एट द रेट 208.88 पर एम क्यू) का अधिक गणना कर संवेदक को अधिक भुगतान किया गया था।

24

(2) कुल राशि रू0–24013.00 विभिन्न करों की कटौती की गयी राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं दिखाया गया था।

उक्त टिप्पणियों के संबंध में जबाव में कहा गया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

अतः संवेदक को अधिक भुगतान की गयी राशि रू0–6642 संबंधित कर्मचारियों/पदाधिकारी/संवेदक से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

19(3) योजना पंजी के संधारण में त्रुटियाँ

नगर पंचायत, जोगबनी द्वारा योजना पंजी का संधारण विहित प्रपत्र में नहीं किया गया था। योजना पंजी के संधारण में निम्न त्रुटियाँ पायी गयी–

(1) सामग्री के क्रय को भी योजना पंजी में चढा दिया गया था। फलतः वर्ष 2011–12 में योजनाओं की शुरूआत 01.11.12 के स्थान पर यो0 सं0–6/11–12 से की गयी।

(2) योजना पंजी का संधारण मदवार न करके सभी मदों की योजनाओं को एकसाथ दर्ज कर दिया गया।

(3) योजना पंजी में संवेदक को भुगतान से संबंधित कोई भी कॉलम नहीं बनाया गया और न ही भुगतान से संबंधित कोई विवरण दर्ज किया गया। इससे योजनाओं कि वर्तमान स्थिति जानने में काफी परेशानी हुई।

उपरोक्त आपतियों के जबाव में कहा गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

19(4)वैट, रॉयल्टी एवं इनकम टैक्स की काटी गयी राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं

नगर पंचायत, जोगबनी के योजना संचिकाओं के जॉच से पता चलता है कि वर्ष 2011–12 में विभिन्न योजनाओं में वैट के रूप में कुल राशि रू0–134819.00, रॉयल्टी के रूप में कुल रू0–27422.00 तथा आयकर के रूप में कुल 76085.00 की राशि कटौती की गयी।

अंकेक्षण टिप्पणी

वैट के रूप में काटी गयी ₹134819.00, रॉयल्टी के रूप में काटी गयी ₹27422.00 तथा आयकर के रूप में काटी गयी कुल ₹76085.00 संबंधित शीर्ष में जमा नहीं की गयी।

उपरोक्त आपत्ति के जबाव में कहा गया कि जमा कर दिया गया है, लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः कुल ₹238326.00(134819 + 27422 + 76085) की राशि संबंधित शीर्ष में जमा किए जाने का साक्ष्य अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

19(5) क्षतिपूर्ति शुल्क की कटौती नहीं

लोक निर्माण विभाग के फार्म एफ–2 के क्लॉज 2 के अनुसार संवेदक अगर समय पर कार्य पूर्ण नहीं करता है तो प्राक्कलित राशि का 1/2 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति शुल्क की कटौती की जाएगी जो अधिकतम प्राक्कलित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

नगर पंचायत, जोगबनी के योजनाओं की संचिका के नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि कई योजनाओं को संवेदकों द्वारा न तो समय पर पूरा किया गया न ही कार्यावधि विस्तार के लिए आवेदन किया गया था। विस्तृत विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	योजना सं0	संवेदक का नाम	कार्यादेश की तिथि/एकरारनामा की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि/कार्य पूर्ण होने की तिथि	प्रा0 राशि	कटौती की राशि
1	08/11–12 मैचींग ग्राण्ट	श्री गजाधर प्र0 गुप्ता	10.04.12/31.03.12	10.06.12/29.06.12	379000.00	37900.00
2.	10/11–12 मैचींग ग्राण्ट	श्री जफर लाल	20.05.12/20.05.12	20.07.12/18.12.12	194800.00	19480.00
	13/11–12 बी0आर0जी0एफ0	श्री मोशर्रफ हयात	13.04.12/31.03.12	13.06.12/10.08.12	166600.00	16660.00
	08/11–12 बी0आर0जी0एफ0	श्री राजीव कुमार सिंह	13.04.12/31.03.12	13.06.12/15.01.13	687100.00	68710.00
					कुल–	142750.00

अंकेक्षण टिप्पणी

(1) कुल रू0– 142750.00 की राशि क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में नहीं काटी गयी।

उपरोक्त आपत्ति के जबाव में कहा गया कि जानकारी के अभाव में कटौती नहीं की जा सकी। जबाव संतोषजनक नहीं है। अत रू0–142750.00 की राशि वसूलनीय है।

22

19(6) श्रम उपकर की कटौती नहीं

नगर पंचायत, जोगबनी के योजना संचिकाओं के अवलोकन में पता चला की कार्यान्वित योजनाओं में श्रम उपकर की कटौती नहीं की गयी थी। विस्तृत विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	योजना सं0	योजना का नाम	संवेदक को भुगतान	श्रम उपकर कि राशि
1	08/11–12	वार्ड 13 में मनोज साह के घर से पवन झा के घर तक पी0सी0सी0	279000.00	2790.00
2	06/11–12	वार्ड 10 में युवा पथ से मदरसा तक सडक निर्माण	105000.00	1050.00
3	07/11–12	वार्ड नं0.07 में ताराबाई के घर से रेलवे लाईन तक डेन का निर्माण	135277.00	1352.00
4	14/11–12	वार्ड सं–06 में गाँधी पथ से नसीर के घर तक नाला	153138.00	1531.00
			कुल–	6723.00

अंकेक्षण टिप्पणी

1. श्रम सेस के रूप में कुल रू0–6723.00 की कटौती नहीं की गयी।

   उपरोक्त आपति के जबाव में कहा गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। अत 6723.00 की राशि वसूलनीय है।

19(7)सुरक्षित जमा की कटौती नहीं

बिहार लोक निर्माण विभाग के संहिता के नियम 162, 172, 173 के अनुसार योजना की प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत राशि संवेदक को सुरक्षित जमा के रूप में जमा इस प्रकार करना है –2 प्रतिशत अग्रधन की राशि एवं 3 प्रतिशत सुरक्षित जमा राशि एकरारनामा के समय तथा 5 प्रतिशत प्रत्येक बिल से कटौती करके। लेकिन बिलों से 5 प्रतिशत की राशि कटौती नहीं की गयी जो अनियमित था। उपरोक्त आपति के जबाव में कहा गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

19(8)गुणवता की जॉच गुणवता नियंत्रण विभाग से कराए बिना ही भुगतान किया जाना

योजनाओं में लगायी गयी सामग्रियों की गुणवता की जॉच गुणवता नियंत्रण विभाग से नहीं कराया गया तथा तकनीकी अधिकारी द्वारा भुगतान एवम अग्रधन एवं सुरक्षित जमा लौटाने का अनुशंसा किया गया था। नियमानुसार बिना गुणवता नियंत्रण विभाग के जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किए भुगतान नहीं करना था। अतिआवश्यक होने की स्थिति में 10 प्रतिशत राशि कीप बैक कर भुगतान करना चाहिए।

उपरोक्त आपत्ति के जबाव में कहा गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

20. सामान्य भविष्य निधि

नगर पंचायत, जोगबनी के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के वेतन पंजी के नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि कर्मचारियों के वेतन से सामान्य भविष्य निधि अंशदान की कटौती की जा रही थी जिसका विवरण निम्न है–

क्र0 सं0	माह	कर्मचारियों की कुल संख्या	भविष्य निधि में कटौती की गयी राशि
1	03.11 से 05.11	8	19368.00
2	06.11 से 07.11	7	12112.00
3	08.11 से 09.11	7	12112.00
4	10.11	7	6056.00
5	11.11 से 12.11	7	12112.00
6	01.12	7	6056.00
7	02.12 से 04.12	6	15225.00
8	05.12	6	5075.00
9	06.12 से 07.12	3	3600.00
10	06.12	3	3151.00
11	08.12 से 09.12	3	3600.00
12	07.12 से 12.12	3	19620.00
13.	10.12 से 12.12	3	5673.00
14	01.13	3	3782.00
15	02.13	3	6540.00
16	03.13	5	3825.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(1) सामान्य भविष्य निधि अंशदान की राशि रू0–137907.00 वेतन से कटौती किया गया था। इतना ही राशि नगर पंचायत कोष से मिलान राशि के रूप में जमा नहीं किया गया। इसका साक्ष्य अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अंकेक्षण आपति के जबाव में नगर पंचायत, जोगबनी में पेंशन योजना बोर्ड से पारित कर लागू किया गया है, जिसे पेंशन खाता में जमा किया गया है।

जबाव संतोषजनक नहीं पाया गया पेंशन खाता का साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः राशि रू0–137907.00 मैचिंग ग्राण्ट के रूप में संबंधित खाता में जमा किया जाय।